आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department

Training for Self Employment of Women in Need of Care and Protection

मेघालय की बेसहारा और कमजोर महिलाओं के लिए बुनाई, सिलाई, निटिंग और कढ़ाई का एक साल का प्रशिक्षण, हर महीने वजीफे और कोर्स के बाद शुरुआती अनुदान के साथ।

क्या मिल सकता है

चुनी गई महिलाओं को शिलांग, तुरा और जोवाई के केंद्रों में एक साल का प्रायोगिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण मिलता है। पेज पर हर महीने 1,500 रुपये वजीफा लिखा है। प्रशिक्षण के बाद ग्रेड के अनुसार 7,000, 6,000 या 5,000 रुपये का अनुदान मंजूर होता है, ताकि महिला कमाई शुरू कर सके।

किसके लिए है

मेघालय की बेसहारा लड़कियां, अनाथ, विधवाएं, अकेली मांएं और संकट में फंसी महिलाएं जो कोई हुनर सीखकर खुद कमाना चाहती हैं।

मुख्य शर्तें

- केंद्र अनाथ, एकल अभिभावक, परित्यक्ता और विधवा, गरीब व बड़े परिवार और बेसहारा महिलाओं को प्राथमिकता देता है।
- किसी स्वयंसेवी संस्था की सिफारिश वाली आवेदक भी चुनी जा सकती हैं।
- प्रशिक्षुओं का चयन एक चयन समिति करती है और वजीफे को समाज कल्याण निदेशक मंजूर करते हैं।

दस्तावेज़

- पंजीकृत स्वयंसेवी सामाजिक संस्था के सचिव या अध्यक्ष, या गांव के मुखिया का प्रमाणपत्र, जिसमें आवेदक की लाचारी और बेसहारा हालत बताई गई हो
- स्कूल प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां

आवेदन कैसे करें

1. प्रशिक्षण केंद्र के अधीक्षक के कार्यालय से तय आवेदन फॉर्म लें।
2. उसे भरें और सहायक प्रमाणपत्र साथ लगाएं।
3. विज्ञापन में तय तारीख तक अधीक्षक के पास जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://megsocialwelfare.gov.in/women.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-tsew-women-in-need-of-care-protection/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।